

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक/रा.यु.उ.यो./133/2024-25 8695

नवा रायपुर दिनांक 18/11 / 2024

—: संक्षिप्त विज्ञापित :-


राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग जिला बिलासपुर में प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रुचि की अभिव्यक्ति" का पुनः आमंत्रण (वर्ष 2024-25)

—00—

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग जिला बिलासपुर में प्रदान करने हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाममूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा इस क्षेत्र में कार्यरत निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest) का ऑनलाईन प्रस्ताव पुनः आमंत्रित है।

1	रुचि की अभिव्यक्ति का ऑनलाईन प्रदर्शन की तिथि	30.11.2024	दोपहर 12:00 बजे से
2	रुचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting	05.12.2024	अपराह्न 2:00 बजे
3	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि	16.12.2024	सायं 5:00 बजे तक
4	प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना	17.12.2024	दोपहर 12:00 बजे
5	तकनीकी मुल्यांकन एवं अन्य कार्यवाही/जानकारी की सूचना		पृथक से दी जावेगी

अन्य कार्यवाही एवं तिथियों में परिवर्तन की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं नियमावली हेतु विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है तथा ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> के निविदा क्रमांक 162070 से वांछित जानकारी/प्रपत्र का अवलोकन/डाउनलोड कर सकते हैं।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

कार्यालय आयुक्त
आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
इन्द्रावती भवन, भूतल, ब्लॉक 4डी, नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)
☎ - 2263708 Fax - 2262558

website - tribal.cg.gov.in

E mail - ctd.cg@nic.in

क्रमांक / रा.यु.उ.यो. / 133 / 2024-25 / 8696

नवा रायपुर दिनांक 18 / 11 / 2024

--: विस्तृत विज्ञप्ति ::--

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के भाग (B) अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रुचि की अभिव्यक्ति" का पुनः आमंत्रण (वर्ष 2024-25)

—00—

राजीव युवा उत्थान योजनावर्ष 2019 के भाग (B) अंतर्गत राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग के पात्र अभ्यर्थियों को छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराने एवं प्रतिस्पर्धात्मक बनाकर परिणाम मूलक सफलता सुनिश्चित करने हेतु विभाग की योजना है। उक्त कोचिंग जिला बिलासपुर के लिए स्वीकृत 100 सीट में कोचिंग कार्य हेतु निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से "रुचि की अभिव्यक्ति" (Expression of Interest) अंतर्गत ऑनलाईन प्रस्ताव पुनः आमंत्रित किया जाता है :-

कोचिंग संस्था का चयन प्रशिक्षण दिनांक से 01 वर्ष हेतु किया जायेगा। विशिष्ट परिस्थिति में संस्था का अनुबंध अधिकतम एक वर्ष हेतु और बढ़ाया जा सकेगा।

इच्छुक कोचिंग संस्था 03 बंद लिफाफा पद्धति में अपना प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकती है।

1. प्रथम बंद लिफाफा :- संस्था के न्यूनतम आर्हता संबंधी विवरण। (EC-1 से EC-7 तक की जानकारी रखा जाये)
2. द्वितीय बंद लिफाफा :-संस्था के गुणात्मक योग्यता संबंधी विवरण। (इसके अंतर्गत TE-1 से TE-3 तक की जानकारी रखा जाये)
3. तृतीय बंद लिफाफा :-वित्तीय लिफाफा (इसके अंतर्गत वित्तीय दर का लिफाफा FB-1 रखा जाना है। प्रारूप संलग्न है)

स्कैन कर अपलोड किए जाने वाले अभिलेखों के प्रत्येक पृष्ठ पर संस्था प्रमुख की पदमुद्रा सहित हस्ताक्षर होना चाहिए। संस्था के न्यूनतम आर्हता संबंधी दस्तावेजों के पूर्ण पाए जाने पर ही द्वितीय लिफाफा (गुणात्मक योग्यता) एवं तृतीय लिफाफा (वित्तीय लिफाफा) खोला जाएगा।

संस्था के चयन हेतु कुल 100 अंक निर्धारित होंगे। जिसमें गुणात्मक मूल्यांकन के 70 प्रतिशत एवं वित्तीय दर की 30 प्रतिशत वेटेज के आधार पर गणना कर संस्थाओं का चयन मेरिट क्रम में समिति के द्वारा किया जायेगा।

गुणात्मक मूल्यांकन :- न्यूनतम आर्हता पूर्ण करने वाले फर्म/संस्था का ही गुणात्मक मूल्यांकन किया जायेगा, यह अधिकतम 100 अंक का होगा :-

क्र.	विवरण	निर्धारित अंक
1	संस्था की स्वयं का अधोसंरचना हो तथा संस्था संबंधित क्षेत्र में कार्य करने के अनुभव के आधार पर	10
2	संस्था द्वारा विगत 3 वर्षों में दी गई कोचिंग से छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों के विवरण के आधार पर ➤ (प्रति 01 प्रतिशत चयनित के लिए 01 अंक)	25
3	शिक्षक/फैकल्टी सदस्यों का सम्पूर्ण विवरण के अनुसार (शिक्षक की योग्यता 15 नंबर एवं शिक्षक का अनुभव 05 नंबर) ➤ (प्रति 01 वर्ष के अनुभव के लिए 01 अंक) (पीएससी कोचिंग अध्ययन संबंधित अनुभव के ही अंक प्रदाय किये जायेंगे) (शिक्षक की योग्यता के अंको का निर्धारण परिशिष्ट TE-2)	20
4	योजना क्रियान्वयन की विस्तृत रणनीति के आधार पर	15
5	प्रेजेन्टेशन में समस्या समाधान के बताये गये तरीके के आधार पर	20
6	कोचिंग संस्था/फर्म का टर्न ओव्हर के आधार पर (रूपये 50.00 लाख से अधिक एवं रूपये 75.00 लाख तक 05 नंबर, रूपये 75.00 लाख से अधिकत एवं रूपये 100.00 लाख तक 7.5 नंबर तथा रूपये 100.00 लाख से अधिक होने पर 10 नंबर)	10

इच्छुक कोचिंग संस्थाएं आवेदन का प्रारूप, न्यूनतम पात्रता शर्तें, सुरक्षा निधि की राशि तथा अन्य जानकारी विभाग की वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in तथा ई-प्रोक्योरमेंट वेब पोर्टल <https://eproc.cgstate.gov.in> से अवलोकन कर प्राप्त (Download) कर सकते हैं। आवेदन पत्र के शुल्क हेतु राशि रूपये 5000/- (शब्दों में पांच हजार मात्र) तथा जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।

संस्था अमानत राशि रूपये 1.00 लाख का अमानत राशि (एफ.डी.आर.) आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर के पक्ष में हो, प्रथम लिफाफा में स्कैन कर संलग्न करे तथा मूल प्रति कार्यालय में जमा करें।


लिफाफा खोलते समय संस्थाओं के अधीकृत प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं। "रूचि की अभिव्यक्ति" के तहत प्रस्ताव जमा करने एवं खोलने की तिथि निम्नानुसार है :-

1	रूचि की अभिव्यक्ति का ऑनलाईन प्रदर्शन की तिथि	30.11.2024	दोपहर 12:00 बजे से
2	रूचि की अभिव्यक्ति के संबंध में PreBid Meeting	05.12.2024	अपरान्ह 2:00 बजे
3	निर्धारित प्रपत्र में प्रस्ताव ऑनलाईन प्रेषित करने की अंतिम तिथि	16.12.2024	सायं 5:00 बजे तक
4	प्राप्त प्रस्ताव को समिति के समक्ष खोला जाना	17.12.2024	दोपहर 12:00 बजे
5	तकनीकी मूल्यांकन एवं अन्य कार्यवाही/जानकारी की सूचना		पृथक से दी जावेगी

“रूचि की अभिव्यक्ति” के संबंध में PreBid Meeting तिथि से 48 घण्टे पहले तक जो भी अपत्ति हो ई-मेल yuvarriernirman@gmail.com पर पत्र के माध्यम से कार्यालय को सूचित करना होगा। पत्र में अपत्ति की गई विषय वस्तु के अतिरिक्त किसी भी विषय पर समिति द्वारा विचार नहीं किया जायेगा।

अन्य कार्यवाही एवं तिथियों में परिवर्तन की सूचना संबंधित प्राधिकारी/चयन समिति द्वारा पृथक से विभागीय वेबसाइट पर दी जायेगी। विस्तृत जानकारी एवं नियमावली हेतु विभागीय वेबसाइट www.tribal.cg.gov.in से अवलोकन किया जा सकता है।

कोचिंग संस्थाओं को राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के भाग (B) अंतर्गत उल्लेखित/वर्णित नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। योजना नियमों में संशोधन होने की दशा में आगामी सत्र (2025-26) से संशोधित/नवीन नियम लागू किये जा सकेंगे, इस संबंध में प्रथम पक्ष का निर्णय अंतिम होगा। कोचिंग हेतु संस्था का अंतिम रूप से चयन शासन की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त होने के अधीन होगा।


(नरेन्द्र कुमार दुग्गा)
आयुक्त

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास
नवा रायपुर अटल नगर (छ0ग0)

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2024-25)

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 8695 दिनांक 18-11-24 के संदर्भ में)

भाग-एक (प्रथम लिफाफा)

(कोचिंग संस्था के लिए न्यूनतम आर्हता संबंधी अभिलेख)

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेखका पृष्ठ क्र. अंकित करें
1.	(i) कोचिंग संस्था सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1860/छ.ग. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम 1973/कम्पनीज एक्ट/इंडियन पार्टनरशिप एक्ट/ए ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर इंडियन ट्रस्ट एक्ट (रजिस्ट्रेशन सर्टीफिकेट अनिवार्य तथा सक्षम अधिकारी द्वारा जारी)/भारत सरकार अथवा छ.ग. शासन द्वारा मान्यता प्राप्त किसी एक्ट के तहत पंजीकृत हो। (ii) संस्था का पंजीयन निविदा प्रकाशन दिनांक से न्यूनतम 03 वर्ष पूर्व का होना चाहिए। (iii) पंजीयन गलत प्राप्त होने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर संस्था के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।	
2.	संस्था का पेन (PAN), टेन (TAN) एवं छत्तीसगढ़ राज्य का जी.एस.टी. (GST) पंजीयन अनिवार्यतः होना चाहिए तथा इसका स्वयं सत्यापित छायाप्रति संलग्न करे। कार्य प्राप्त होने पर छ.ग. के GSTN से ही बिलिंग किया जाना होगा।	
3.	(i) कोचिंग संस्था/फर्म का कोचिंग कार्यों का वर्ष 2021-22, 2022-23 एवं 2023-24 का औसत टर्न ओवर 50.00 लाख से कम नहीं होना चाहिए। टर्न ओवर में संस्था द्वारा संचालित अन्य गतिविधियों/व्यापारिक प्रक्रियाओं से प्राप्त आय/संपत्ति को इसमें शामिल न किया जाए। संस्था को प्रमाण स्वरूप उक्त 03 वर्षों का अंकेक्षण प्रतिवेदन (ऑडिट रिपोर्ट) प्रस्तुत करना होगा। वर्ष 2023-24 का ऑडिट पूर्ण न होने की स्थिति में ऑडिटर से टर्न ओवर प्रमाण पत्र देना होगा। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट का एक प्रमाण पत्र जिसमें विगत तीनों वर्षों के प्रतियोगी परीक्षाओं संबंधी कार्यों से संबंधित टर्न ओवर का पृथक-पृथक उल्लेख होगा। (ii) माह जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024 का जमा किये गये जी.एस.टी. का विवरण (सत्यापित अभिलेख)। (iii) उक्त 03 वर्षों की आयकर रिटर्न की सत्यापित प्रति।	
4.	अमानत राशि के रूप में प्रत्येक कार्य के लिए निर्धारित राशि रु 1.00 लाख का एफ.डी.आर. आयुक्त, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास नवा रायपुर अटल नगर के पक्ष में हो, संलग्न करे।	
5.	आवेदन शुल्क हेतु 5000/- जीएसटी के साथ ऑनलाईन जमा करना होगा।	
6.	संघ/संयुक्त उद्यम वाले कोचिंग संस्था मान्य नहीं होंगे।	
7.	निविदा प्रकाशन दिनांक की स्थिति में भारत देश के अंतर्गत किसी भी राज्य में शासन/लोक उपक्रम/विभाग/एजेंसी अंतर्गत कोचिंग संस्था/फर्म को काली सूची में न डाला हो और न ही कोई कारण बताओं नोटिस जारी किया गया हो। इस संबंध में संलग्न EC-07 के प्रपत्र में प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें।	

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

अनिवार्य न्यूनतम योग्यता के मूल्यांकन हेतु संलग्न किय जाने वाले अभिलेखों की जानकारी

(EC-1 से EC-7 तक) प्रथम लिफाफा हेतु

परिशिष्ट-EC-1
कोचिंग संस्था का पंजीयन

परिशिष्ट-EC-2
जीवितPAN, TAN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट-EC-3
छ.ग. राज्य का जीवित GSTIN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट-EC-4
जीवितIT RETURN प्रमाण पत्र संलग्न करें।

परिशिष्ट-EC-5
कोचिंग संस्था/फर्म के टर्न ओव्हर संबंधी (CA) का प्रमाण पत्र एवं ऑडिट रिपोर्ट।

प्रमाणित किया जाता है कि कोचिंग संस्था/फर्म का नाम तथा पता
का आडिट रिपोर्ट का मैंने पूर्ण रूप से परीक्षण कर लिया है, जिसके आधार पर छ.ग. राज्य
लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की कोचिंग से संबंधित टर्न ओव्हर
निम्नानुसार है:-

क्र.	वर्ष	टर्न ओव्हर (राशि लाख में)
1	2021-22	
2	2022-23	
3	2023-24	

कोचिंग संस्था/फर्म के
संचालक का हस्ताक्षर एवं सील

**Signature of Statutory Auditor
With Seal
UDIN NO.**

परिशिष्ट –EC–6
पॉवर ऑफ एटार्नी हेतु घोषणा पत्र
(50 रू. के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास, नवा रायपुर अटल नगर छ.ग. द्वारा जारी
“रूचि की अभिव्यक्ति” क्रमांक.....दिनांक के संबंध में हमारी
फर्म/संस्थापता.....
.....की ओर से मैंआत्मज.....
.....पता.....उम्र..... आधार क्रमांक.....
..... फर्म में हैसियत (पद)से अधिकृत होकर नाम.....
आत्मज.....पूरा पताआधार क्रमांक.....
.....को फर्म/कम्पनी/संस्था की ओर से इस प्रकाशित “रूचि की अभिव्यक्ति” के संबंध में
प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर डिस्कशन/बैठक में शामिल होने/निगोशियेशन/अनुबंध करने तथा
इस प्रोजेक्ट के संचालन करने हेतु अभिलेखों पर हस्ताक्षर करने तथा अन्य किसी भी प्रकार के
हस्ताक्षर करने हेतु अधिकृत करता हूँ।

यह भी प्रमाणित करता हूँ कि यह व्यक्ति किसी भी प्रकार के न्यायालयीन या
अपराधिक प्रकरण में लिप्त नहीं है। इनके द्वारा किसी भी प्रकार का नियमों का उल्लंघन किया
जाता है जो इसके लिए हमारे फर्म पर वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी।

गवाह के हस्ताक्षर

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील
(जो कंपनी/फर्म के बॉयलॉज अनुसार
Power of Attorney जारी करने हेतु सक्षम)

परिशिष्ट -EC-7

कोचिंग फर्म/संस्था/कम्पनी को काली सूची/खराब प्रदर्शन के आधार पर दण्डात्मक कार्यवाही न होने संबंधी स्वघोषणा प्रमाण-पत्र (Self Declaration)
(रु. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी.....

पूरा पताकी ओर से मैं.....

..... (संचालक का नाम) आज दिनांक की स्थिति में घोषणा करता हूँ कि किसी भी शासन विभाग स्थानीय प्रशासन/एजेंसी छत्तीसगढ़/भारत देश/भारत देश से बाहर हमारे फर्म को किसी भी कारण से कार्य करने से प्रतिबंधित/ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है, और न ही हमारी संस्था पर किसी प्रकार के दंडात्मक कार्यवाही की गई है।

आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास द्वारा हमारी संस्था/फर्म/कम्पनी के ऊपर किसी भी प्रकार के खराब प्रदर्शन अथवा कोचिंग संस्था में कार्यरत शिक्षकों के वेतन भुगतान नहीं करने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नोटिस का निराकरण कर लिया गया है तथा कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।

उपरोक्त के संबंध में किसी भी स्तर पर गलत, मिथ्यापूर्ण जानकारी पाए जाने पर विभाग द्वारा आवेदन/अनुबंध निरस्त कर दिये जाने पर मेरी जिम्मेदारी होगी। इस पर मैं सहमति प्रदान करता हूँ।

गवाह के हस्ताक्षर

फर्म के मालिक/साझेदार/संचालक
के हस्ताक्षर एवं सील

तकनीकी मुल्यांकन हेतु संलग्न किये जाने वाले अभिलेखों की जानकारी (TE-1से TE-3तक)

भाग – दो (द्वितीय लिफाफा)

परिशिष्ट-TE-1

संस्था का सामान्य परिचय—(पुष्टि हेतु अभिलेख संलग्न किया जावे)

1. (अ) छ.ग. स्थित कोचिंग संस्था का नाम :
- (ब) कोचिंग संस्था का पूर्ण पता :
- (स) दूरभाष (कोड सहित) :
2. कोचिंग संस्था को यह व्यवसाय करने हेतु किस विभाग से मान्यता प्राप्त है, विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र/पंजीयन का क्रमांक एवं दिनांक :
3. यदि कोचिंग संस्था किसी समिति/कंपनी के अंतर्गत संचालित है तो :-
 - (अ) समिति/कंपनी का नाम :
 - (ब) समिति/कंपनी के कार्यालय का पूर्ण पता :
 - (स) दूरभाष (कोड सहित) :
4. (अ) समिति/कंपनी किस एक्ट के तहत पंजीकृत है (पूर्ण विवरण दें) :
- (ब) समिति/कंपनी का एक्ट के अंतर्गत जीवित पंजीयन क्रमांक :
- (स) समिति/कंपनी का वैद्यता दिनांक :
- (द) समिति/कंपनी के गवर्निंग बॉडी की अंतिम बैठक का दिनांक :
- (इ) समिति/कंपनी के अंतिम बैठक की आम सभा का दिनांक :
- (फ) समिति/कंपनी के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष, सचिव एवं सदस्यों के नाम एवं पूर्ण पता :
- मोबाईल नंबर सहित :
5. अशासकीय शिक्षण संस्था को किस प्रभाग की मान्यता प्राप्त है, तथा किस अवधि तक के लिए वैध है के बारे में विवरण (प्रमाण पत्र संलग्न करें) :
6. प्रस्तावित प्रोजेक्ट हेतु नियुक्त प्रोजेक्ट इन्चार्ज का नाम :-
 - (अ) इन्चार्ज का नाम :
 - (ब) शैक्षणिक अर्हता :
 - (स) अनुभव :

संस्था प्रमुख का हस्ताक्षर
पद मुद्रा सहित

परिशिष्ट-TE-2

कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु

क्र.	विवरण	संबंधित संलग्न अभिलेख का पृष्ठ क्र. अंकित करें																																	
1.	कोचिंग संस्था द्वारा आयोजित की जाने वाली कक्षाओं के क्रियान्वयन की विस्तृत कार्य योजना की रणनीति।																																		
2.	कोचिंग संस्था द्वारा प्रकाशित किताबों/स्टडी मटेरियल की एक-एक प्रति। (सूची स्कैन कर संलग्न करे एवं किताबों/स्टडी मटेरियल की मूल प्रति कार्यालय में जमा करें)																																		
3.	कोचिंग संस्था द्वारा दिए जाने वाले नोट्स तथा टेस्ट पेपर (प्रिंटेड) की एक एक प्रति। (सूची स्कैन कर संलग्न करे एवं मूल प्रति कार्यालय में जमा करें)																																		
4.	<p>कोचिंग संस्था से राष्ट्रीय एवं राज्य द्वारा आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा में विगत 3 वर्षों में अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों की सूची।</p> <p>(क) :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>विद्यार्थी का नाम</th> <th>परीक्षा का नाम</th> <th>चयनित पद</th> <th>मोबाईल नंबर</th> <th>चयन वर्ष</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>(ख) :-</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या</th> <th>परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या</th> <th>परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या</th> <th>प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का प्रतिशत</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table> <p>नोट :- वर्षवार पृथक-पृथक कॉलम में जानकारी देवे।</p>	क्र.	विद्यार्थी का नाम	परीक्षा का नाम	चयनित पद	मोबाईल नंबर	चयन वर्ष													क्र.	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का प्रतिशत											
क्र.	विद्यार्थी का नाम	परीक्षा का नाम	चयनित पद	मोबाईल नंबर	चयन वर्ष																														
क्र.	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में सम्मिलित विद्यार्थियों की संख्या	परीक्षा में अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों की संख्या	प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या के आधार पर अंतिम रूप से चयनित विद्यार्थियों का प्रतिशत																															
5	<p>कोचिंग संस्था के फ़ैकल्टी का विवरण जिन्हें परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण हेतु नियुक्त किया जाएगा। (EOI में दिये गये फ़ैकल्टी की अनुपस्थिति/छोड़ने की स्थिति में EOI में उल्लेखित योग्यता अनुसार substitute फ़ैकल्टी उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। किसी भी परिस्थिति में substitute फ़ैकल्टी उपलब्ध नहीं कराने पर प्रतिमाह प्रति substitute फ़ैकल्टी के मान से रूपये 10,000/- पैनाल्टी कटौती की जायेगी। फ़ैकल्टी का substitution संबंधित विषय के लिए एक बार ही लागू होगी। एक बार से अधिक substitution की स्थिति में प्रति फ़ैकल्टी रूपये 25,000/- पैनाल्टी कटौती की जायेगी)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>क्र.</th> <th>शिक्षक का नाम</th> <th>योग्यता (स्नातक/ स्नाकोत्तर/अन्य)</th> <th>अनुभव</th> <th>अध्यापन का विषय</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>	क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता (स्नातक/ स्नाकोत्तर/अन्य)	अनुभव	अध्यापन का विषय	1	2	3	4	5																								
क्र.	शिक्षक का नाम	योग्यता (स्नातक/ स्नाकोत्तर/अन्य)	अनुभव	अध्यापन का विषय																															
1	2	3	4	5																															

परिशिष्ट-TE-2

कोचिंग संस्था के मुल्यांकन हेतु

कॉलम नंबर 3 पर अंकित योग्यता हेतु अंको का निर्धारण निम्नानुसार है :-

योग्यता	स्नातक		स्नाकोत्तर	पीएससी प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण	पीएससी मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण
	45 % से अधिक एवं 60 % से कम	60 % से अधिक			
अंक	02	05	03	03	04

एक या एक से अधिक बार स्नातक/स्नाकोत्तर उपाधि प्राप्त करने पर नंबर केवल एक ही बार जोड़ा जायेगा।

नोट :-कोचिंग देने वाले सभी शिक्षकों का बायोडाटा तथा अंक सूची/डिग्री की कोचिंग संस्था प्रमुख तथा संबंधित शिक्षक द्वारा संयुक्त सत्यापित (छायाप्रति) संलग्न किया जाये। तदसंबंध में परिशिष्ट TE-3 प्रारूप में नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत करें।

परिशिष्ट-TE-3

संस्था संचालक की घोषणा

(रू. 50/- के स्टाम्प पेपर पर नोटराईज्ड)

मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा आवेदन पत्र के भाग-एक एवं भाग-दो में दर्शायी गई जानकारी एवं उनकी पुष्टि हेतु पृथक से संलग्न विस्तृत विवरण/अभिलेख मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही एवं सत्य है। यदि अभिलेख/दी गई जानकारी असत्य पाई जाती है, तो मेरे विरुद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

2. यह कि मेरे द्वारा प्रस्तुत किये गये स्टडी मटेरियल गुणवत्तापूर्ण एवं अद्यतन है तथा यह छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा से संबंधित है।

3. मैं छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग) राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 एवं "रुचि की अभिव्यक्ति" में दिए गए विवरण के प्रावधानों को भलीभाँति अध्ययन कर लिया हूँ एवं इससे सहमत हूँ। विभाग द्वारा अध्यापन/प्रशिक्षण (कोचिंग) कार्य हेतु कार्यादेश प्राप्त होने की स्थिति में विभागीय निर्देशों का पालन करते हुए निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण किया जाएगा एवं अनुबंध का पालन किया जाएगा।

दिनांक :

स्थान :

हस्ताक्षर/मोहर सहित

टीप :- प्रस्तुत किए जाने वाले आवेदन पत्र एवं इसमें संलग्न किए गए समस्त अभिलेखों को सत्यापित करते हुए संस्था संचालक/संस्था प्रमुख का सील सहित हस्ताक्षर होना चाहिए।

राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 अंतर्गत छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के तैयारी हेतु प्रशिक्षण प्रदान करने निजी प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से ऑनलाईन "रुचि की अभिव्यक्ति" का आमंत्रण (वर्ष 2024-25)

परिशिष्ट -FB-1

तृतीय लिफाफा (वित्तीय लिफाफा)

(रुचि की अभिव्यक्ति की सूचना क्रमांक 8695 दिनांक 18-11-24 के संदर्भ में)

क्र.	कार्य का नाम	प्रशिक्षण केन्द्र का जिला	(राशि रुपये में)	
			प्रस्तावित राशि समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित (दर प्रति विद्यार्थी प्रति वर्ष) अंको में	शब्दों में
1.	छ.ग. राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी हेतु प्रशिक्षण (कोचिंग), राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 की कंडिका 9 में दर्शाये गये दायित्वों सहित	बिलासपुर		

उपरोक्त दर समस्त कर (जी.एस.टी.) सहित है एवं इस दर पर मैं कार्य करने हेतु सहमत हूँ।

नोट :- राशि का भुगतान राजीव युवा उत्थान योजना वर्ष 2019 के भाग (B) की कंडिका 10 एवं अनुबंध में निहित शर्तों के अनुसार किया जावेगा। जिसमें 75 प्रतिशत राशि 03 किस्तों में किया जावेगा तथा शेष 25 प्रतिशत राशि का भुगतान परीक्षा परिणाम पर आधारित होगा, जिसका विवरण निम्नानुसार है :-

- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 25 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि भुगतान योग्य होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 20 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 20 प्रतिशत राशि देय होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 15 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 15 प्रतिशत राशि देय होगी।
- अध्यनरत अभ्यर्थियों में से न्यूनतम 10 प्रतिशत अभ्यर्थियों का अंतिम रूप से चयन होने पर 10 प्रतिशत राशि देय होगी।
- उपरोक्तानुसार परिणाम प्राप्त नहीं होने की स्थिति में अंतिम किस्त की सम्पूर्ण 25 प्रतिशत राशि देय नहीं (कटौती योग्य) होगी।

आयुक्त, आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास सक्षम प्राधिकारी होंगे।

संस्था प्रमुख के हस्ताक्षर

(पदमुद्रा सहित)